विहंगावलोकन

विहंगावलोकन

इस प्रतिवेदन में दो निष्पादन लेखापरीक्षा यथा राष्ट्रीय ग्रामीण पेय जल कार्यक्रम तथा प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना, और परिहार्य, अतिरिक्त, निष्फल तथा अनुत्पादक व्यय, निधियों का अवरोधन और विपथन, ठेकेदार को अनुचित लाभ, बिक्री आय का अल्प संग्रहण, पर्यवेक्षण प्रभारों की वसूली न करना और वेतन और भत्तों का अधिक भुगतान इत्यादि से संबन्धित ₹394.13 करोड़ के 24 पैराग्राफ सम्मिलित हैं। कुछ प्रमुख निष्कर्ष निम्नलिखित हैं:

2013-18 के दौरान राज्य का कुल व्यय[1] ₹31,686 करोड़ से ₹51,294 करोड़ तक बढ़ गया, जबकि राजस्व व्यय 2013-14 में ₹27,058 करोड़ से 51 प्रतिशत बढ़कर 2017-18 में ₹40,916 करोड़ हो गया। वर्ष 2013-18 की अवधि के दौरान अनियोजन/ सामान्य राजस्व व्यय ₹25,219 करोड़ से 52 प्रतिशत बढ़कर ₹38,416 करोड़ तक हो गया तथा पूंजीगत व्यय ₹4,507 करोड़ से 130 प्रतिशत बढ़कर ₹10,353 करोड़ रहा।

निष्पादन लेखापरीक्षा

राष्ट्रीय ग्रामीण पेय जल कार्यक्रम (एनआरडीडब्ल्यूपी) को सतत आधार पर ग्रामीण आबादी को स्वच्छ पेय जल उपलब्ध कराने के लिए एक प्रमुख कार्यक्रम के रूप में शुरू किया गया था। 2013-14 से 2017-18 की अवधि के लिए जन-स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग (पीएचई) द्वारा जम्मू और कश्मीर में एनआरडीडब्ल्यूपी के कार्यान्वयन पर एक निष्पादन लेखापरीक्षा में कुछ कमियां सामने आई। निष्पादन लेखापरीक्षा की कुछ मुख्य विशेषताएं इस प्रकार हैं:

- जल स्वच्छता मिशन (एसडब्ल्यूएसएम)/ प्रशासनिक विभाग को राज्य वित्त विभाग (एफडी) द्वारा 2014-17 के दौरान प्राप्त ₹871.87 करोड़ की धनराशि जारी करने में 7 से 67 दिनों के बीच देरी हुई।

(पैराग्राफ: 2.1.7.2)

- 10 पीएचई डिवीजनों (तीन नमूना डिवीजनों सहित) में कार्यान्वित की गई 28 जल आपूर्ति योजनाओं में संचयी व्यय को बाद के वर्षों में गलत व्यय को दर्शाते हुए कम बताया गया था, जिसके कारण इन योजनाओं की अनुमानित लागत के प्रति ₹1.10 करोड़ अतिरिक्त जारी किए गए।

(पैराग्राफ: 2.1.7.5)

- प्रशासनिक विभाग तथा 14 में से छह नमूना डिवीजनों के रिकॉर्ड की संवीक्षा से पता चला कि 2013-14 से 2017-18 के दौरान कुल उपलब्ध निधि में से

---

[1] राजस्व व्यय, पूंजीगत परिव्यय तथा ऋणों और अग्रिमों का संवितरण सहित कुल व्यय

कार्यक्रम और सहायक निधि पर अर्जित ₹1.74 करोड़ ब्याज लेखाबही/ खातों में लेखाबद्ध नहीं था।

(पैराग्राफ: 2.1.7.7)

- 2013-18 के दौरान, 1,067 जल आपूर्ति योजनाओं (डब्ल्यूएसएस) को पूरा करने के लक्ष्य के प्रति, केवल 679 योजनाएं (64 प्रतिशत) पूरी हुई। 388 योजनाओं (36 प्रतिशत) के पूरा न होने से 5.67 लाख लोगों को पेयजल उपलब्ध कराने की प्रक्रिया को प्रभावित किया।

(पैराग्राफ: 2.1.8.2)

- 2013-14 से 2016-17 के दौरान सरकारी स्कूलों में पानी की आपूर्ति प्रदान करने के लिए लक्ष्यों की प्राप्ति में वर्ष-वार कमी 10 से 29 प्रतिशत के बीच रही। केवल नौ आंगनवाडी केंद्रों को 2013-15 की अवधि के दौरान पीने के पानी की सुविधा प्रदान की गई थी और विभाग ने 2014-15 से इस संबंध में कोई लक्ष्य निर्धारित नहीं किया था।

(पैराग्राफ: 2.1.8.3)

- इस तथ्य के बावजूद कि सभी स्कूलों को 2012-13 तक कवर किया जाना था, विभाग ने प्राथमिकता के आधार पर उसे नहीं किया और सात नमूना-जांच जिलों में 17 प्रतिशत स्कूलों और 36 प्रतिशत आंगनवाड़ी केन्द्रों को कवर नहीं किया गया।

(पैराग्राफ: 2.1.8.3)

- 14 नमूना डिवीजनों में, मजदूरी के भुगतान के लिए, पेट्रोल-तेल-स्नेहक (पीओएल), वाहनों को किराए पर लेने, हार्ड कोक की खरीद, और डीईओ को वेतन आदि के लिए एनआरडीडब्ल्यूपी निधि को विचलित करते हुए ₹31.24 करोड़ का व्यय किया गया था।

(पैराग्राफ: 2.1.8.6)

- 14 नमूना डिवीजनों में, ₹1,415.37 करोड़ की अनुमानित लागत की 657 योजनाओं को प्रशासनिक अनुमोदन (एए) और तकनीकी संस्वीकृति (टीएस) के बिना क्रियान्वयन हेतु लिया गया और इन योजनाओं पर ₹830.11 करोड़ का व्यय हुआ।

(पैराग्राफ: 2.1.8.7)

- 28 योजनाओं के संबंध में, 13 नमूना डिवीजनों द्वारा वितरण प्रणाली को निर्धारित करने और अन्य कार्यों को क्रियान्वित करने पर ₹43.45 करोड़ का निष्फल व्यय हुआ जो बिना मुख्य निर्माणकार्य जैसे स्रोत विकास, भूमि अधिग्रहण, अपर्याप्त निधि और बिना वन विभाग की मंजूरी से शुरू किए गए।

(पैराग्राफ: 2.1.8.10)

- 2013-14 से 2017-18 के दौरान, 30 से 48 प्रतिशत स्रोतों के संबंध में जल के नमूनों की जांच की गई। इसके अतिरिक्त, 2013-18 के दौरान अपेक्षित 7,66,326 जल नमूनों की जांच किए जाने के प्रति, केवल 5,60,331 (73 प्रतिशत) नमूने जांचे गए तथा बैक्ट्रियोलॉजीकल परीक्षण और रसायन संदूषण का विवरण अलग से उपलब्ध नहीं था।

(पैराग्राफ: 2.1.10.4)

भारत सरकार (जीओआई) ने ग्रामीण क्षेत्रों में पात्र असंबद्ध निवास स्थानों को 'सर्व मौसम सड़क' द्वारा संपर्क प्रदान करने के लिए दिसंबर 2000 में **प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना (पीएमजीएसवाई)** आरंभ की। मार्च 2015 तक पीएमजीएसवाई एक 100 प्रतिशत केंद्र प्रायोजित योजना थी तथा बाद में वित्तपोषण पद्धति को केंद्र तथा राज्य के बीच 90:10 के अनुपात में बांटा गया था। सभी कार्मिक लागत राज्य सरकार द्वारा वहन की जाएगी जबकि प्रशासनिक और यात्रा खर्चों को भारत सरकार द्वारा निश्चित सीमा[2] तक राज्य सरकार के साथ अन्य अतिरिक्त लागत के साथ वहन किया जाएगा। पूर्ण की गई सड़क परियोजनाओं के रखरखाव का बजट राज्य सरकार द्वारा दिया जाएगा और भूमि अधिग्रहण हेतु भारत सरकार द्वारा कोई निधि प्रदान नहीं की जाएगी। जम्मू तथा कश्मीर राज्य में पीएमजीएसवाई के कार्यान्वयन की निष्पादन लेखापरीक्षा दिसंबर 2017 से जून 2018 के बीच, 2013-14 से 2017-18 की अवधि को कवर करते हुए की गई। मुख्य लेखापरीक्षा निष्कर्ष निम्नलिखित हैः

- वर्ष 2013-18 के दौरान निर्माणाधीन 9,383.07 किमी की सड़क लंबाई को सम्मिलित करते हुए संस्वीकृत 1,769 सड़क परियोजनाओं में से, मार्च 2018 तक 4,172.50 किमी सड़क लंबाई वाली केवल 810 सड़क परियोजनाएँ (46 प्रतिशत) पूर्ण की गई थी। 2013-18 के दौरान सड़क परियोजनाओं को पूर्ण करने की वर्ष-वार दर 8 से 19 प्रतिशत के बीच थी। भूमि अधिग्रहण, वन मंजूरी इत्यादि में समस्याओं के कारण, 175 निवास स्थानों को जोड़ने के लिए अप्रैल 2013 से पूर्व संस्वीकृत 467 सड़क परियोजनाएं (सड़क लंबाई: 2,577.88 किमी) अभी मार्च 2018 तक भी अपूर्ण थी।

(पैराग्राफ: 2.2.4)

[2] पीआईयू हेतु प्रशासनिक खर्च: 1 प्रतिशत; पीआईयू के यात्रा खर्च: 0.50 प्रतिशत; प्रशासनिक तथा यात्रा खर्च (जेकेएसआरआरडीए): 0.25 प्रतिशत (अधिकतम ₹75 लाख) तथा स्वतंत्र गुणवता निगरानी: 0.50 प्रतिशत

- राज्य में पीएमजीएसवाई के कार्यान्वयन हेतु योजना अपूर्ण थी क्योंकि जिला ग्रामीण सड़क योजना न तो अधिकतर नमूना कार्यक्रम कार्यान्वयन इकाईयों (पीआईयू) में तैयार की गई थीं और न ही मध्यवर्ती पंचायत/ जिला पंचायत/ जिला ग्रामीण विकास विभाग और राज्य स्तर स्थायी समिति से अनुमोदित थी। कोर नेटवर्क में सभी योग्य निवास स्थानों को कवर नहीं किया गया था, अस्वीकार्य सड़क परियोजनाएँ कोर नेटवर्क में सम्मिलित की गई थीं तथा जो सड़क परियोजनाएँ कोर नेटवर्क में नहीं थीं उनको क्रियान्वयन हेतु लिया गया था। **(पैराग्राफ: 2.2.5)**

- चरण-I से XI के अंतर्गत 2000-01 से 2017-18 (जनवरी 2018) के दौरान ₹8,892.69 करोड़ की योजना निधि की कुल संस्वीकृति में से, भारत सरकार ने ₹5,092.14 करोड़ जारी किए जिसके प्रति मार्च 2018 तक ₹4,312.41 करोड़ खर्च किये गये थे। 2015-18 के दौरान प्रत्येक वित्तीय वर्ष की समाप्ति पर अंत शेष ₹128 करोड़ से ₹1,046 करोड़ के बीच था।

  (पैराग्राफ: 2.2.6.1)

- सड़क परियोजनाओं को पूर्ण करने की कम प्रगति के कारण, भारत सरकार द्वारा चरण-VI, VII और IX के अंतर्गत ₹1,494.60 करोड़ की शेष निधि को जारी नहीं किया गया। राज्य के देय भाग ₹252 करोड़ के प्रति, राज्य सरकार ने 2015-18 के दौरान ₹97 करोड़ शेष रखते हुए ₹155 करोड़ जारी किये थे। **(पैराग्राफ: 2.2.6.1)**

- जम्मू एवं कश्मीर राज्य ग्रामीण सड़क विकास एजेंसी (जेकेएसआरआरडीए) द्वारा रखी गई ₹36.22 करोड़ की मांग के प्रति, राज्य सरकार द्वारा केवल ₹8.12 करोड़ (22 प्रतिशत) जारी किया गया। 2013-18 के दौरान, निधियों के उपयोग की प्रतिशतता बहुत कम थी तथा इसकी सीमा 6 से 30 प्रतिशत के बीच थी।

  (पैराग्राफ: 2.2.6.2)

- अप्रैल 2000 तक 2,738 संपर्क रहित निवास स्थानों में से, 2000-2018 के दौरान कुल 1,694 (62 प्रतिशत) निवास स्थानों को जोड़ा गया और मार्च 2018 के अंत तक 1,044 (38 प्रतिशत) निवास स्थानों को जोड़ा जाना शेष था। वर्ष 2003 तक 1,000 तथा अधिक जनसंख्या वाले 572 संस्वीकृत निवास स्थानों को कवर करने के लक्ष्य के प्रति, मार्च 2018 तक 506 निवास स्थानों को संपर्क में लाया गया। जबकि 500 से 999 के बीच की जनसंख्या वाले निवास स्थानों को 2007 तक कवर किया जाना था, जबकि जेकेएसआरआरडीए मार्च 2018 तक

भारत सरकार द्वारा संस्वीकृत 870 में से 112 योग्य निवास स्थानों की कमी के साथ 758 निवास स्थानों को ही कवर कर सकी।

(पैराग्राफ: 2.2.7.2)

- चरण-VI से X के अंतर्गत ₹169.68 करोड़ की लागत पर संस्वीकृत 46 सड़क परियोजनाओं, जिन पर जनवरी 2018 तक ₹39.93 करोड़ का व्यय हुआ, का क्रियान्वयन भूमि विवाद, वन भूमि की नामंजूरी इत्यादि के कारण पूर्ण नहीं हुआ था।

(पैराग्राफ: 2.2.8)

- भूमि अधिग्रहण हेतु नौ जिलों के 13 पीआईयू द्वारा जारी ₹370.70 करोड़ में से, ₹302.54 करोड़ की राशि राजस्व विभाग के पास, ₹17.85 करोड़ वन विभाग के पास तथा ₹5.80 करोड़ पीएचई/ पीडीडी/ सिंचाई विभाग के पास रखी हुई थी।

(पैराग्राफ: 2.2.8.4)

- नौ नमूना जिलों में, ₹1,031.35 करोड़ की लागत पर संस्वीकृत 254 सड़क परियोजनाएँ, जिन पर ₹514.62 करोड़ का व्यय हुआ, को सक्षम प्राधिकारी से प्रशासनिक अनुमोदन/ तकनीकी संस्वीकृति (एए/ टीएस) को प्राप्त किए बिना ₹935.96 करोड़ की लागत पर आबंटित किया गया। आठ पूर्ण/ रोकी गई सड़क परियोजनाओं के संबंध में ₹46.52 लाख के मोबिलाईजेशन/ मशीनरी अग्रिम को ठेकेदारों से नहीं वसूला गया। ठेकेदारों पर ₹17.64 करोड़ का परिसमापित हर्जाना नहीं लगाया गया था।

(पैराग्राफ: 2.2.8.5)

- 2013-14 से 2017-18 के दौरान राज्य गुणवत्ता निगरानी (एसक्यूएम) द्वारा संचालित 492 निरीक्षणों के संबंध में किसी भी पीआईयू के द्वारा कोई की गई कार्रवाई रिपोर्ट (एटीआर) प्रस्तुत नहीं की गई, जबकि 159 निरीक्षणों को 'असंतोषजनक' और शेष 333 को 'सुधार की आवश्यकता' ग्रेड दिया गया। आठ नमूना जिलों में किए गए 221 निरीक्षणों के संबंध में एटीआर पीआईयू से प्रतीक्षित थी। पीएमजीएसवाई निर्माणकार्यों की निगरानी हेतु नौ नमूना जिलों में जिला सतर्कता तथा निगरानी समिति/ जिला विकास समन्वयन तथा निगरानी समिति (डीवीएमसी/ डीआईएसएचए) द्वारा आयोजित की जाने वाली आवश्यक 180 बैठकों के प्रति, 2013-18 के दौरान दो जिलों में केवल छः बैठकें आयोजित की गई।

(पैराग्राफ: 2.2.9.5 तथा 2.2.9.9)

- ऑनलाइन प्रबंधन निगरानी तथा लेखांकन समिति (ओएमएमएएस) का डेटाबेस अपूर्ण और अविश्वसनीय था। अप्रैल 2000 तक जेकेएसआरआरडीए द्वारा संपर्क रहित बताए गए 2,738 निवास स्थानों के प्रति, ओएमएमएएस में 2,493 निवास स्थानों को संपर्करहित दर्शाया गया।

(पैराग्राफ: 2.2.10)

अनुपालन लेखापरीक्षा

शेर-ए-कश्मीर कृषि विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, जम्मू में अनुसंधान एवं विकास गतिविधियां

विश्वविद्यालय ने पांच खाद्य फसलों हेतु 'अखिल भारतीय समन्वित अनुसंधान परियोजना' (एआईसीआरपी) पर ₹16.08 करोड़ का व्यय करने के बावजूद किसी भी संकर बीज (मक्के की एकल संकर किस्म को छोड़कर) को विकसित नहीं किया है। शेर-ए-कश्मीर कृषि विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, जम्मू द्वारा किसानों को गुणवत्ता बीज उपलब्ध कराने के लिए प्रभावी बीज उत्पादन श्रृंखला नहीं बनाई गई चूँकि वर्ष 2014-18 के दौरान राज्य कृषि विभाग द्वारा 2,62,207 क्विंटल प्रजनक/ मूल बीजों की मांग के प्रति विश्वविद्यालय केवल 5,126.69 क्विंटल बीज ही उपलब्ध करा सका। शुष्क भूमि कृषि पर अनुसंधान हेतु राख धियंसर केंद्र की स्थापना की गई थी, परंतु इसने इस परियोजना के अंतर्गत 2008-09 से 2017-18 के दौरान परियोजना के तहत ₹6.99 करोड़ व्यय करने के बावजूद शुष्क भूमि की उत्पादन एवं उत्पादकता को बढ़ाने के लिए किसी भी प्रौद्योगिकी का हस्तांतरण नहीं किया। परियोजना निगरानी और मूल्यांकन (पीएमई) विंग द्वारा की गई निगरानी लगभग मौजूद नहीं थी चूँकि विश्वविद्यालय ने वित्त पोषण प्राधिकरणों को प्रस्तुत की गई परियोजनाओं की संख्या, स्वीकृत/ अस्वीकृत परियोजनाओं की संख्या और परियोजनाओं के पूरा होने पर प्रकाशित अनुसंधान पत्र एवं उनके प्रभाव का डेटाबेस लेखापरीक्षा हस्तक्षेप होने तक नहीं बनाया था। 2014-18 के दौरान होने वाली अनुसंधान परिषद की आठ अनिवार्य बैठकों के बजाय केवल तीन बैठकें आयोजित की गई।

(पैराग्राफ: 3.1)

आवश्यकता से अधिक खाद्यान्न की खरीद पर परिहार्य व्यय

सितंबर 2014 की बाढ़ से प्रभावित राशनकार्ड रहित परिवारों में वितरण हेतु खाद्य, नागरिक आपूर्ति और उपभोक्ता मामले विभाग द्वारा खाद्यान्न की आवश्यकता से अधिक खरीद होने के कारण ₹6.54 करोड़ का परिहार्य अधिक व्यय हुआ। नमूना जांच से ज्ञात हुआ कि 11,117.90 क्विंटल का अवितरित भंडार डिपार्टमेंटल स्ट्रोर्स में रखा हुआ था या लगभग तीन वर्षों तक निजी आटा मिलों द्वारा रखा गया था और

विभाग को उसकी खरीद लागत से कम दर पर खाद्यान्न की बिक्री द्वारा ₹18.63 लाख की हानि हुई।

(पैराग्राफ: 3.2)

अतिरिक्त परिहार्य व्यय और बोलीकर्ता के पक्ष में अनुचित लाभ

संविदा के प्रवर्तन हेतु आमंत्रित निविदा ज्ञापन में निर्धारित खंड को शामिल करने और सफल बोलीकर्ता, जो समझौतों को कार्यान्वित करने में असफल रहा, से परिनिर्धारित नुकसानों के स्वरूप में हानि की वसूली करने में खाद्य, नागरिक आपूर्ति और उपभोक्ता मामले विभाग असफल रहा, जिसके परिणामस्वरूप ₹12.74 करोड़ का अतिरिक्त परिहार्य और बोलीकर्ता को अनुचित लाभ करने के कारण हुआ।

(पैराग्राफ: 3.3)

खाद्यान्नों के बिक्री लाभों से अल्प संग्रहण

गैर-प्राथमिकता परिवार श्रेणी (एनपीएचएच) और मुफ़्ती मोहम्म्द सईद खाद्य हकदारी योजना (एमएमएसएफ़ईएस) के उपभोक्ताओं को जारी किए गए खाद्यान्नों की बिक्री हेतू निर्धारित दरों को खाद्य, नागरिक आपूर्ति और उपभोक्ता मामलों के विभाग द्वारा लागू करने में असफलता के परिणामस्वरूप राज्य के राजकोष को बिक्री लाभों का अल्प संग्रहण हुआ तथा इसके परिणामस्वरूप राज्य के राजकोष को ₹6.85 करोड़ का वित्तीय घाटा हुआ।

(पैराग्राफ: 3.4)

निधियों का अवरोधन और स्पाईनल इंजरी सेंटर की स्थापना न करना

स्पाईनल इंजरी सेंटर की स्थापना करने के लिए भारत सरकार (जीओआई) से प्राप्त राशि के उपयोग हेतु समय पर कार्यवाई न करने में स्वास्थ्य और चिकित्सा शिक्षा विभाग की असफलता के परिणामस्वरूप न केवल ₹3.04 करोड़ की राशि का अवरोधन हुआ, बल्कि इस योजना के लाभों से गरीब मरीज भी वंचित रहे। यह भी एक जोखिम है कि निधि के उपयोग न करने से, राज्य सरकार द्वारा प्राप्त राशि को भारत सरकार को वापस करना पड़ेगा।

(पैराग्राफ: 3.5)

स्वाइन फ्लू जांच प्रयोगशाला की स्थापना न होना

वित्तीय वर्ष 2014-15 की समाप्ति पर निधि को व्ययगत होने से बचाने के लिए प्रिंसिपल गवर्मेंट मेडीकल कॉलेज, जम्मू की ट्रैजरी से निधि आहरण करने की असंगत कार्रवाई और विगत 3½ वर्षों के दौरान इस निधि के उपयोग में विफलता के फलस्वरूप जमा शीर्ष में ₹3.45 करोड़ छोड़ देने से कीमत में वृद्धि हुई और स्वाइन फ्लू परीक्षण प्रयोगशाला स्थापना के अपेक्षित लक्ष्य को भी पूरा नहीं किया जा सका।

(पैराग्राफ: 3.6)

ट्रोमा अस्पताल खेल्लानी की स्थापना न करने के कारण निष्फल व्यय

आवश्यक कर्मचारियों को पदस्थापित करके ट्रोमा अस्पताल को चालू करने में स्वास्थ्य और चिकित्सा विभाग की असफलता और प्रयोगशाला/ रोग निदान सुविधायें, ऑपरेशन थियेटर, ब्लड बैंक और एम्बुलेंस इत्यादि का प्रबंध करने में असफलता से ₹394.59 लाख का निवेश निष्फल हो गया।

(पैराग्राफ: 3.7)

एसएनसीयू/ एसपीवी के गैर-संचालन पर निधियों का अवरोधन/ निष्फल व्यय

दो वर्ष से अधिक समय तक एसएनसीयू सरवाल के लिए चिकित्सा उपकरण उपलब्ध कराने में, एसएनसीयू भद्रवाह और गंदोह के लिए कर्मचारियों को नियुक्त करने में और दो सौर ऊर्जा जेनरेटरों के संचालन में स्वास्थ्य और चिकित्सा शिक्षा विभाग की असफलता के परिणामस्वरूप ₹122.18 लाख का निष्फल व्यय और ₹44.82 लाख का अवरोधन हुआ। निधि की उपलब्धता और अतिरिक्त कर्मचारियों के होने के बावजूद नवजातों की देखभाल के लिए परिकल्पित सेवाओं को सुनिश्चित नहीं किया जा सका।

(पैराग्राफ: 3.8)

निष्फल व्यय और ब्याज देयता

अस्पताल के भवनों के निर्माण से पूर्व भूमि की उपलब्धता की सुनिश्चितता और लागत अनुमानों के अनुसार कार्यों को करना और आठ वर्षों की अवधि के दौरान उनकी पूर्णता को सुनिश्चित करने में स्वास्थ्य और चिकित्सा शिक्षा विभाग की असफलता के परिणामस्वरूप ₹1.16 करोड़ का निष्फल व्यय हुआ और ली गई निधि पर ₹44.21 लाख की ब्याज देयता हुई।

(पैराग्राफ: 3.9)

अतिरिक्त परिहार्य व्यय और ठेकेदार के पक्ष में अनुचित लाभ

अपेक्षित विशेष विवरणों की सूची के बिना और निम्नतम बोलीकर्ता को अस्वीकार करते हुए, जो तकनीकी मूल्यांकन में विधिवत रूप से योग्य था, पुलिस विभाग द्वारा बोलियों के वित्तीय मूल्यांकन के समय आयातित सामग्री के उपयोग की अनुशंसा के अनियमित कार्रवाई के परिणामस्वरूप ₹2.24 करोड़ का अतिरिक्त परिहार्य व्यय किया गया और ठेकेदार को अनुचित लाभ प्रदान किया गया।

(पैराग्राफ: 3.10)

वेतन बकाया और अस्वीकार्य भत्तों का अधिक भुगतान

गृह विभाग की निर्धारित नियमों और स्थायी निर्देशों के अनुपालन में असफलता के परिणामस्वरूप ₹33.10 लाख के वेतन बकायों और ₹12.88 लाख के अस्वीकार्य भत्तों का अधिक भुगतान हुआ।

(पैराग्राफ: 3.11)

सिंचाई तथा बाढ़ नियंत्रण विभाग में अधूरी योजनाएं

लेखापरीक्षा में नमूना जांच की गई सिंचाई तथा बाढ़ नियंत्रण विभाग की चालू 274 योजनाओं में से केवल 23 योजनाओं को 2015-18 के दौरान पूरा किया गया और 251 अधूरी योजनाएं जिनमें 209 ऐसी योजनाएं शामिल हैं जिन्हें मार्च 2018 तक पूर्ण किया जाना था। शेष 42 योजनाएं मार्च 2018 के बाद पूर्ण होने के लिए लम्बित थीं। 30 योजनाओं को पूरा करने में पांच वर्षों से ज्यादा की देरी हुई, 137 योजनाओं के पूरा होने में 2 से 5 वर्षों की देरी हुई और 39 योजनाओं में दो वर्षों तक की देरी हुई। लेखापरीक्षा ने ₹39.92 करोड़ के निधि के विपथन/ अवरोधन, व्यर्थ, निष्फल/ अनुत्पादक व्यय के मामले पाए।

(पैराग्राफ: 3.12)

झज्जर कोटली में बांध का निर्माण न करने के कारण निधियों का अवरोधन

सिंचाई एवं बाढ़ नियंत्रण विभाग द्वारा जम्मू-श्रीनगर राष्ट्रीय राजमार्ग के संरेखण में आने वाले प्रस्तावित स्थान झज्जर कोटली में झज्जर नाले के ऊपर बांध के निर्माण हेतु योजना का प्रकाशन और आपत्तियों/ स्पष्टीकरणों की मांग से पूर्व, जम्मू और कश्मीर परियोजना निर्माण निगम को अग्रिम निधियाँ प्रदान करने की अनुचित योजना के परिणामस्वरूप छह से सात वर्षों से अधिक के लिए ₹1.80 करोड़ का अवरोधन हुआ।

(पैराग्राफ: 3.13)

एडीआर केंद्र ऊधमपुर के लिए नियत निधियों का अवरोधन और विपथन

वैकल्पिक विवाद समाधान (एडीआर) केंद्र भवन के निर्माण हेतु अपेक्षित भूमि की उपलब्धता को सुनिश्चित किए बिना कार्यान्वयन डिवीजन को अग्रिम निधियां प्रदान करने की विधि, न्याय और संसदीय मामले विभाग की अविवेकपूर्ण कार्रवाई के परिणामस्वरूप जमा शीर्षों में ₹0.89 करोड़ का अवरोधन तथा ₹0.44 करोड़ की सामग्री का विपथन हुआ।

(पैराग्राफ: 3.14)

पर्यवेक्षण प्रभारों की वसूली न होना

कार्यपालक अभियंता, सब ट्रांसमिशन डिवीजन, डोडा के विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डीपीआर) में सही तरीके से पर्यवेक्षण प्रभारों की राशि का प्रक्षेपण करने तथा वर्तमान नियमावली के अनुसार वसूली करने में विफलता के परिणामस्वरूप ₹49.51 लाख के पर्यवेक्षण प्रभारों की वसूली नहीं हुई। लेखापरीक्षा द्वारा निर्दिष्ट किए जाने पर ₹17.47 लाख की वसूली की गई थी तथा शेष ₹32.04 लाख अभी तक वसूल किए जाने हैं।

(पैराग्राफ: 3.15)

भू-जल विनियमन तथा प्रबंधन

राज्य में भू-जल प्रबंधन, भू-जल के निष्कर्षण और दोहन में शामिल औद्योगिक/ अवसंरचना परियोजनाओं को पंजीकरण प्रमाण-पत्र (आरसी) जारी करने तक सीमित था। राज्य को अभी तक (मार्च 2018) हानि को न्यूनतम करते हए तथा प्रतिधारण को अधिकतम करते हुए भू-जल को रिचार्ज करने के लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए उपायों के कार्यान्वयन हेतु एक कार्य योजना का प्रतिपादन करना था, जैसा कि ''राज्य जल नीति'' में अवधारित था। औद्योगिक/ अवसंरचना परियोजनाओं के लिए 46 आरसी की अनियमित स्वीकृति तथा 92 बोर/ ट्यूबवैलों के संबंध में सक्षम प्राधिकारी के किसी आरसी के बिना 78 उपयोगकर्ताओं द्वारा भू-जल के अप्राधिकृत निष्कर्षण के कारण ₹128.80 लाख के शुल्क की वसूली नहीं हुई। 32 उपयोगकर्ताओं के जल उपयोग प्रभारों का निर्धारण न करने के परिणामस्वरूप ₹12.92 करोड़ की न्यूनतम मांग सृजित नहीं हुई। यद्यपि, 11 उपयोगकर्त्ताओं के संबंध में ₹47.08 लाख के जल उपयोग प्रभारों का निर्धारण किया गया था, परंतु उक्त की उगाही (मार्च 2018 तक) नहीं की गई थी ।

(पैराग्राफ: 3.16)

स्टाफ के संयोजन के कारण अनुत्पादक व्यय

किसी सौंपे गए कार्य के बिना जन-स्वास्थ्य अभियांत्रिकी (पीएचई) डिवीजन-I, जम्मू में स्टाफ के संयोजन के परिणामस्वरूप उनके वेतन के भुगतान पर ₹3.68 करोड़ का अनुत्पादक व्यय हुआ।

(पैराग्राफ: 3.17)

निधियों का अवरोधन तथा विपथन

सात वर्षों की अवधि में फुट सस्पेंशन ब्रिज के निर्माण हेतु उचित स्थल का चयन करने में कार्यकारी अभियंता, लोक निर्माण (सड़क एवं भवन) डिवीजन, किश्तवाड़ की असफलता के परिणामस्वरूप ₹1.57 करोड़ का अवरोधन एवं ₹0.04 करोड़ का विपथन हुआ।

(पैराग्राफ: 3.18)

निधियों का विपथन एवं अनियमित व्यय

सड़क परियोजना में वन भूमि के उपयोग हेतु पूर्व निर्बाधता प्राप्त करने तथा केवल निधियों के व्यपगत होने से बचने के लिए किसी तत्काल उपयोग के बिना सामग्री की अधिप्राप्ति पर व्यय करने के लिए कार्यकारी अभियंता, लोक निर्माण (सड़क एवं भवन) डिवीजन, उधमपुर की असफलता के परिणामस्वरूप ₹299.89 लाख का विपथन हुआ। तीन वर्षों में पूरे किए जाने वाले प्रस्तावित परियोजना के निर्माण कार्य पांच वर्षों से अधिक बीत जाने के बावजूद भी आरंभ नहीं किए गए थे। ₹5.66 लाख

का एक अनियमित व्यय भी उन मदों पर किया गया था जो परियोजना निर्माण कार्यों से संबंधित नहीं था।

(पैराग्राफ: 3.19)

निष्फल व्यय, निधियों का विपथन और अवरोधन

वित्तीय वर्ष की समाप्ति पर केवल निधियों के व्यपगत होने से बचने के लिए कोषागार से निधियों का आहरण करने हेतु कार्यकारी अभिंयता, पीडब्ल्यूडी (आरएण्डबी) डिवीजन किश्तवाड की अविवेकपूर्ण कार्रवाई तथा एक सड़क परियोजना में वन भूमि के उपयोग हेतु पूर्व निर्बाधता प्राप्त करने की असफलता के परिणामस्वरूप ₹9.43 लाख का निष्फल व्यय, ₹8.63 लाख का विपथन तथा नाबार्ड से उधार लिए गए ₹161.75 लाख का अवरोधन हुआ।

(पैराग्राफ: 3.20)

ग्राम त्राशी की अपूर्ण सड़क पर निधियों का निष्फल व्यय/ अवरोधन

सड़क कार्य का क्रियान्वयन आरंभ करने से पहले भूमि अधिग्रहण नहीं करने की कार्यकारी अभियंता, लोक निर्माण डिवीजन (सड़क एवं भवन) छात्रू की अविवेकपूर्ण कार्रवाई और आठ वर्षों से अधिक की अवधि तक परियोजना को पूर्ण करने में असफलता के परिणामस्वरूप ₹2.77 करोड़ का निष्फल व्यय तथा ₹0.69 करोड़ का अवरोधन हुआ।

(पैराग्राफ: 3.21)

कम्प्यूटरीकृत धर्मकाँटों पर निष्फल व्यय

टोल पोस्ट नगरी परोल पर स्थापित किए गए पांच कम्प्यूटरीकृत धर्म कांटों को चालू करने और उनको उत्पाद शुल्क विभाग को सुपुर्द करने में लोक निर्माण (सड़क एवं भवन) विभाग तथा मैकेनकिल अभियांत्रिकी विभाग की विफलता के परिणामस्वरूप ₹1.25 करोड़ का निष्फल व्यय और सात वर्षों से अधिक की अवधि तक ₹0.03 करोड़ का अवरोधन हुआ।

(पैराग्राफ: 3.22)

स्टाफ के संयोजन के कारण अनुत्पादक व्यय

मुख्य अभियंता कार्यालय, लोक निर्माण विभाग, जम्मू में बिना किसी कार्य के स्टाफ के संयोजन के परिणामस्वरूप उनके वेतन के भुगतान पर ₹14.64 करोड़ का अनुत्पादक व्यय हुआ।

(पैराग्राफ: 3.23)

वेतन और भत्तों का अधिक भुगतान

सरकार द्वारा जारी किए गए निर्धारित नियमों/ अनुदेशों के अनुसार निर्धारित वेतन मोड पर नियुक्त कर्मचारियों की वेतन वृद्धि को नियमित करने की राजस्व विभाग की विफलता के परिणामस्वरूप जुलाई 2014 से मार्च 2018 के दौरान अस्वीकार्य वेतन, भत्तों और नई पेंशन योजना (एनपीएस) अंशदान के कारण ₹64.21 लाख का अधिक भुगतान हुआ।

(पैराग्राफ: 3.24)